राजस्थान–सरकार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।

क्रमांक :– एफ. 12 (सी) / कअ / राजस्व / 17 / 190 दिनांक :– 22/9/17

–: आदेश :–

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ. 11(4)रेव–6 / 2014 / 17 दिनांक 22.05.2015 के द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 में तीसरा संशोधन 2015 के द्वारा नियम 3(ए) के पश्चात् जोडे गये नियम 3(बी) के अनुसरण में ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ के खाता संख्या 1 के खसरा नम्बर 415 / 1 रकबा 154–10–17 बीघा किस्म बारानी अव्वल को पर्यटन ईकाई की स्थापना हेतु चयनित की जाकर पर्यटन ईकाई के आवंटन हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत आरक्षित करने हेतु एतद् द्वारा निम्न शर्तों पर आदेश प्रदान किये जाते है :–

शर्ते :–

1. आरक्षित भूमि का विधिवत आंवटन अधिसूचना दिनांक 22.05.2015 के नियम 3(बी) (3) के अनुरूप खुली निविदा द्वारा किया जायेगा।
2. आरक्षित भूमि का आवंटन आरक्षित दर पर किया जायेगा।

जिला कलक्टर, अजमेर

क्रमांक :– सम / 17 / 11346-52 दिनांक :– 22/9/17

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर को परिपत्र दिनांक 13.01.2017 के संदर्भ में।
2. निदेशक, पर्यटन विभाग राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त आरक्षित भूमि को कृपया पर्यटन विभाग की वैबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
3. सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, अजमेर।
4. प्रभारी अधिकारी, एनआईसी, कलक्ट्रेट अजमेर को, कृपया उक्त आदेश इस कार्यालय की वैबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
5. उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़।
6. तहसीलदार, किशनगढ़ को राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज की कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है। कृपया उक्त आराजी का सत्यापित राजस्व मानचित्र 3 प्रतियों में इस कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करावें।
7. आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर, अजमेर